कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच (म.प्र.)

क्रमांक— 491 —/सांख्यिकी/2022 नीमच, दिनांक 15/02/2022

प्रतिलिपि यथाआदेश:–

1.– प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुविभाग नीमच/जावद की ओर शपथ आयुक्त की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

2.– अध्यक्ष अभिभाषक संघ, नीमच/जावद की ओर शपथ आयुक्त की नियुक्ति हेतु अधिवक्तागण को नोट करवाये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3.– जुनियर सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय नीमच की ओर न्यायालय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संलग्न:– 01 शीट

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नीमच (म.प्र.)

कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच (म.प्र.)

शपथ आयुक्त नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

क्रमांक---491-A--/सांख्यिकी/2022 नीमच, दिनांक 15/02/2022

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (म.प्र.) के ज्ञापन क्रमांक ए/4778 दिनांक 04.12.2021, ज्ञापन कमांक ए/5270/तीन-1-27/75 जबलपुर दिनांक 18.12.2021 तथा ज्ञापन कमांक बी/826/तीन-1-27/75 जबलपुर, दिनांक 01.02.2022 के आलोक में जिला मुख्यालय नीमच पर श्री कृष्णकांत बागडी अधिवक्ता के स्थान पर एवं तहसील जावद जिला नीमच स्थापना पर श्री राजेश तिवारी अधिवक्ता जावद के स्थान पर एवं श्री तुलसीराम मारू, अधिवक्ता शपथ आयुक्त की मृत्यु हो जाने से रिक्त हुये शपथ आयुक्त के पद पर नियुक्ति की जाना है।

अतः उक्त पदो पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्तागण दिनांक **03.03.2022** तक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय नीमच में निर्धारित प्रारूप-1 पर आवेदन पत्र तीन-तीन प्रति में बार कौंसिल के प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करे।

शपथ आयुक्त, नियम 1996 के नियम 3(क) का उपनियम (2) (तीन) के तहत् ऐसे अधिवक्ता ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें जो तहसील स्थापना जावद एवं मुख्यालय नीमच पर अभिभाषक संघ के सदस्य हो। आवेदन पत्र में अधिवक्ता अपनी जन्मतिथि तथा जाति वर्ग (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं महिला) अन्य शैक्षणिक योग्यता व 5 वर्ष का विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र तथा क्या पूर्व में शपथ आयुक्त के पद पर कार्य कर चुके हैं अथवा किसी कारणवश हटाये गये हैं ? क्या वे नोटरी अथवा शासकीय अधिवक्ता के पद पर तथा शासन द्वारा प्राप्त होने वाले किसी अन्य आय के पद पर कार्यरत् है अथवा नहीं है ? के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र सहित जानकारी प्रस्तुत करें, इच्छुक अधिवक्ता की शपथ आयुक्त के पद पर पदस्थापना हो जाती है तो वे अन्य धारित पद से त्याग पत्र दे देंगे इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करे।

सक्षम अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जिन इच्छुक उम्मीदवार का कार्य व्यवहार, आचरण, वकालत व्यवसाय अच्छा पाया जावेगा उनको तथा अनुसूचित जाति/जन जाति तथा महिला महिला वर्ग के पात्र उम्मीदार का चयन नियमानुसार किया जावेगा।

निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत करे, निर्धारित अवधि में विधिवत् आवेदन पत्र प्राप्त न होने की दशा में शपथ आयुक्त की पैनल में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया जावेगा तथा आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक **15.02.2022** को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

संलग्न : प्रारूप-1

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच (म.प्र.)

प्रारूप -- एक

(शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन)
शपथ आयुक्त अधिनियम–1976 के नियम 3 तथा 4 के अंतर्गत

1. आवेदक का नाम – ....
2. आवेदक के पिता / पति का नाम – ....
3. जन्म दिनांक – ....
4. जाति – ....
5. पूरा पता – ....
6. व्यवसाय का स्थान जो अधिवक्ता के के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्ठ हो। – ....
7. वर्ष जबसे विधि व्यवसाय कर रहे हैं। – ....
8. क्या पूर्व मुं शपथ आयुक्त नियुक्त किये गये थे, यदि हां तो ऐसी नियुक्ति की समाप्ति का कारण । – .... – ....
9. क्या पूर्व में नोटरी नियुक्त किये गये थे, यदि हां तो ऐसी नियुक्ति की समाप्ति का कारण – ....
10. तथ्य जिन पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाए। – .... – .... – ....

दिनांक – ....

स्थान – ....

आवेदक के हस्ताक्षर

– घोषणा –

मैं .... सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और घोषणा करंता / करती हूं कि उक्त प्रविष्ठियां मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं और उक्त तथ्यों से संबंधित कुछ भी छिपाया नहीं गया हैं।

दिनांक – ....

स्थान – ....

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालयीन के उपयोग के लिये।

1. आवेदन पर प्रस्तुत करने या प्राप्त करने की दिनांक – ....
2. जिला न्यायाधीश की टिप्पणिया – ....
3. कोई अन्य विशेष तथ्य जो जिला न्यायाधीश – .... की जानकारी में हो, जिन पर ध्यान अपेक्षित हो ....

दिनांक – ....

जिला एवं सत्र न्यायाधीश